वर्षा पात वाली श्रेणी	प्रभाग/राज्य का नाम	देश के क्षेत्र का प्रतिशत
150 से0 मी0 से अधिक	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप, अरूणाचल प्रदेश, असम एवं मेघालय तटीय कर्नाटक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, केरल कोंकण तथा गोवा, मणिपुर, मिरोरम, नागालैंड, उप-हिमालयी क्षेत्र पश्चिमी बंगाल एवं सिक्किम, त्रिपुरा	15%

(ग) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों को आपस में जोड़कर तथा क्षमता स्थलों पर जलाशयों का निर्माण करके जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले वेसिनों में जल का स्थानांतरण करना शामिल है।

वर्षा जल का उपयोग

1816. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्षा स्रोत से 4000 घन किलोमीटर –जल प्राप्त होता है;

(ख) यदि नहीं , तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इसमें से 80% जल बिना उपयोग के नदियों द्वारा बह कर समुद्र में चला जाता है; यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या आकलन किया है; और

(घ) ऎसे जल का उपयोग करने के लिए सरकार की दीर्घकालीन योजना क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार देश में वर्षापात सहित 4000 विलियन घन मीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसमें मौसमी वर्षाआ (जून से सितम्बर) की मात्रा 3000 विलियन घन मीटर है। जिसमें से नदियों से उपलब्ध औसत वार्षिक प्रवाह की मात्रा 1869 विलियन घन मीटर है। वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधनों, जिसकी मात्रा लगभग 452 विलियन घन मीटर है के अतिरिक्त स्थलाकृत, जल वैज्ञानिक और अन्य प्रतिबंधों के कारण उपयोज्य सतहो जल की मात्रा 690 विलियन घन मीटर आंकी गयी है। वाष्पन और वानत्पातिक क्षतियों एवं नदीं क्षेत्र को बनाए रखने के लिए नदी में जल की कुछ मात्रा प्रवाहित करने के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं है। इस समय (1994) जल का उपयोग (सतही और भूजल) लगभग 606 विलियन घन मीटर अर्थात 53% है तथा 536 विलियन घन मीटर उपयोग योग्य जल अनुपयुक्त रह जाता है।

(घ) उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए वर्षा के जल का उपयोग करने के वास्ते नदियों पर भण्डारणों के सृजन पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों को परस्पर जोड़कर अधिशेष जल वाले बेसिनों से कम जल वाले बेसिनों में जल के स्थानान्तरण तथा क्षमता पर जलाशयों के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। यह अनुमान है कि अन्तर-बेसिन स्थानान्तरणॉ के माध्यम से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत 220 विलियन घन मीटर अतिरिक्त जल उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगा।

Efforts to resolve water dispute

1817. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister has made any serious efforts to resolve the various water disputes;

(b) if so, the details thereof; .

(c) whether Government propose to resolve such water disputes out of Court's jurisdiction; and

(d) if so, the reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (d) The Central Government endeavours to resolve inter-State water related disputes by encouraging negotiations, constituting Boards for development and regulation of

Inter-State Rivers/River Valleys. Tribunals for adjudication of water disputes are set up on the request of any of the party States if the water disputes are not resolved otherwise.

Tribunals have been set up for adjudication of Godavari, Krishna, Narmada, Ravi-Beas and Cauvery Water Disputes. First three Tribunals have already given their final awards.

Further, the Ministry of Water Resources has also set up a Standing Committee under the National Water Resources Council for Resolving inter-State issues in water resources.

Setting up of Research Institutes in Uttar Pradesh for Water Management

1818. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA':
SHRI RAM NATH KOVIND:
DR. RANBIR SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that proposals to set up National Centre for Water Management and Regional USAR Research Institute have been received from Government of Uttar Pradesh;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reasons, if the proposals are not acceptable?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) Government of Uttar Pradesh has sent the proposal for setting up of Regional Centre of the Central Soil Salinity Research Institute, Karnal in U.P. The proposed Centre will conduct research on the reclamation of salt affected and waterlogged soils in the Indo-Gangctic basin with special reference to Kanpur-Lucknow belt. The said proposal is under consideration of the Indian Council of Agricultural Research.

12.00 NOON

PAPER LAID ON THE TABLE

Report of the Comptroller and Auditor General of India

I. THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS) Sir, on behalf of Shri Naveen Patnai: I lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution, a copy (in English and Hindi) of the Report of the Comptroller and Auditor Genral of India for the year ended 31st March, 1997 (No. 4 of 1998)—Union Government (Commer cial) Modernisation of Durgapur Steel Plant. [Placed in the Library. *See* No. LT-686/98]

I. Report and Accounts (1996-97) of the various petroleum companies and refineries and related papers.

II. Mou (1998-99) between Govt, of India and various petroleum companies and refineries and related papers.

III. Report and Accounts (1996-97) of the Oil Industry Dev. Board, New Delhi and related papers.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

I कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निलिखित पत्रों की एक एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(1) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मुम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल0टी0 602/98]

(11) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मुम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं